न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–01 किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी	:	संदीप आनन्द, आर.जे.एस (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दाण्डिक विविध प्रार्थना पत्र संख्या	:	74/2026
सीआईएस संख्या	:	89/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	30/ 2026, पुलिस थाना रूपनगढ़, जिला अजमेर
अपराध अंतर्गत धारा	:	8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट

रेखा पेपावत पत्नी श्री रवि कुमार पेपावत, आयु– 22 वर्ष, निवासी– सांसी बस्ती, भगवानगंज, पुलिस थाना रामगंज, जिला– अजमेर।

प्रार्थिया/ अभियुक्ता

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए अपर लोक अभियोजक, किशनगढ़, जिला अजमेर।

अप्रार्थी / अभियोजन

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थिति :–

1. रतनलाल चौधरी, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया/अभियुक्ता की ओर से।
2. श्री भागीरथ लाल जाट, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश दिनांक 13.03.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थिया/अभियुक्ता की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई जिन्होंने केस डायरी प्रस्तुत की।
2. हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12–02–2026 समय 11.46 पी.एम. पर थानाधिकारी रामस्वरूप पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता गश्त व जुरायम कंट्रोल तथा लोकल/स्पेशल एक्ट में कार्यवाही हेतु रवाना होकर कस्बा रूपनगढ़ में हल्का गश्त करते हुए समय करीबन 01.00 ए.एम. बजे सलेमाबाद रोड संजू नगर के पास सलेमाबाद की रोड की तरफ

"Authenticated Document"

से एक स्कूटी आती नजर आई जिसका चालक पुलिस जाब्ता को देखकर स्कूटी को रोककर वापस मोडने लगा, जिसको शंका के आधार पर रोक कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नन्दराम उर्फ नन्दू बताया। स्कूटी के नंबर आर.जे. 01 एल.एस. 2254 थे। शंका के आधार पर उसकी तलाशी लेने पर उसकी पेंट की दाहिनी जेब में एक प्लास्टिक की थैली में 06.10 ग्राम स्मेक बरामद हुई। जिसको रखने का लाईसेन्स व परमिट मांगा तो नहीं होना बताया आदि....।

3. उक्त रिपोर्ट पर मुकामी पुलिस थाना रूपनगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 30/2026 अंतर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थिया/अभियुक्ता को दिनांक 11.03.2026 को गिरफ्तार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसे न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित किये जाने पर प्रार्थिया/अभियुक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया/अभियुक्ता ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया/अभियुक्ता निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उक्त प्रकरण से प्रार्थिया/अभियुक्ता का कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रकरण में बरामद अवैध मादक पदार्थ सह अभियुक्त नंदराम से बरामद हुआ है। प्रार्थिया/अभियुक्ता के द्वारा घटना में लिप्त स्कूटी वाहन को घटना से पूर्व ही जरिये इकरारनामा दिनांकित 02.02.2025 के द्वारा सह अभियुक्त नंदराम को बेचान करा दिया था, जिस इकरारनामें की फोटो प्रति को उसके द्वारा आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिया/अभियुक्ता से किसी प्रकार की कोई बरामदगी शेष नहीं है। हस्तगत प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उसका जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे।

5. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया/अभियुक्ता के विरुद्ध आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थिया/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी में संलग्न आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थिया/अभियुक्ता के विरुद्ध पूर्व का आपराधिक रिकार्ड शून्य है।

7. मुकामी पुलिस ने अब तक के अनुसंधान से प्रार्थिया/अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. का अपराध प्रमाणित माना है। हस्तगत प्रकरण में सह अभियुक्तगण नंदराम के

"Authenticated Document"

कब्जे से कुल 06.10 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मेक बरामद हुआ है, जो कि मध्यम मात्रा का है। प्रार्थिया/अभियुक्ता दिनांक 11.03.2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। हस्तगत प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थिया/अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

8. परिणामतः प्रार्थिया/अभियुक्ता रेखा पेपावत पत्नी श्री रवि कुमार पेपावत, आयु– 22 वर्ष, निवासी– सांसी बस्ती, भगवानगंज, पुलिस थाना रामगंज, जिला– अजमेर द्वारा प्रस्तुत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस स्वीकार कर यह आदेशित किया जाता है कि यदि प्रार्थिया/अभियुक्ता अपनी नियमित उपस्थिति बाबत 50–50 हजार रुपये की दो जमानते व 1,00,000/– रूपये का मुचलका इस न्यायालय की संतुष्टिप्रद निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करावें तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 30/2026 पुलिस थाना रूपनगढ़, जिला अजमेर के प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावेः–

   1. वह न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर असालतन उपस्थित रहेगी।
   2. वह हस्तगत प्रकरण से संबंधित गवाहों को डरायेगा–धमकायेगी नहीं।
   3. वह इस न्यायालय की अनुमति के बिना भारत देश छोड़कर कहीं बाहर नहीं जावेगी।

9. आदेश की एक प्रति प्रार्थिया/अभियुक्ता को दिए जाने हेतु जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह अजमेर को जरिए ई–मेल प्रेषित की जावे।

(संदीप आनन्द)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या 01, किशनगढ़ जिला अजमेर

10. आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संदीप आनन्द)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या 01, किशनगढ़ जिला अजमेर

"Authenticated Document"

SUNIL SONI

Steno Gr. II
"Authenticate Document"
Digitally signed by SUNIL SONI
Date: 2026.03.16 10:40:35 +0530